राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

(बईजलास : श्री चेतन देवड़ा, आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 08/2017 दायर दिनांक – 05.07.2017

फैसल दिनांक –27.03.2019

1. श्री हिरा पिता खेमा बलाई आयु वयस्क निवासी जोगपुर तहसील गलियाकोट जिला डूंगरपुर फोत कायम मूकाम
   1. श्री देवराम पिता खेमा बलाई निवासी जोगपुर
   2. श्री गटूलाल पिता खेमा बलाई निवासी जोगपुर

अपीलान्ट

बनाम

1. श्री अशोक पिता देवजी बलाई आयु वयस्क निवासी जोगपुर तहसील गलियाकोट जिला डूंगरपुर
2. श्री पंकज पिता देवजी बलाई आयु वयस्क निवासी जोगपुर तहसील गलियाकोट जिला डूंगरपुर
3. श्रीमति आशा पुत्री देवजी बलाई आयु वयस्क निवासी जोगपुर हाल अपने पति अशोक पिता रामा बलाई निवासी सेमलिया घाटा तहसील गलियाकोट जिला डूंगरपुर
4. श्रीमति भगवती पिता देवजी बलाई आयु वयस्क निवासी जोगपुर हाल अपने पति जयन्ति पिता वेलजी बलाई निवासी वान्दर खेड तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर
5. श्रीमति गंगा बेवा स्व0 देवजी बलाई आयु वयस्क निवासी जोगपुर तहसील गलियाकोट व जिला डूंगरपुर
6. श्री नानु पिता नगजी बलाई आयु वयस्क निवासी जोगपुर तहसील गलियाकोट व जिला डूंगरपुर
7. राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा, तहसील सागवाड़ा व जिला डूंगरपुर (राज0)

रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति– 1. श्री शैलष भण्डारी, एडवोकेट – अपीलान्ट
2. श्री लालसिंह चुण्डावत, एडवोकेट – रेस्पोडेन्ट

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत

–: निर्णय :–

यह अपील अपीलार्थी की ओर से विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के इस आशय की पेश की है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत यह ग्राम खडगदा के आ.नं. 5248 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा को रेस्पोडेट सं.1 से 6 के पूर्वज स्व0श्री नगजी पिता भूरा बलाई के आवंटन के विरूद्व प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 ग्राम जोगपुर के निवासी हैं। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 के पिता, 5 के पति स्व0श्री देवजी एवं रेस्पोडेन्ट सं. 6 आपस में भाई होकर स्व0श्री नगजी बलाई की

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

संताने हैं। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 के पूर्वज स्व0श्री नगजी पिता भूरा बलाई द्वारा ग्राम खडगदा स्थित भूमि ख.नं. 5248 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त मगरी का आवंटन नियमों के विपरित जाकर गलत तथ्यों को दर्शित कर कपट एवं दुर्व्यपदेशन से नियमों के विपरित आवंटन कराते हुए जरिये नामान्तकरण संख्या 299 दिनांक 27.04.0978 को भूमि अपने नाम दर्ज करा ली है। उक्त आवंटन आरंभ से आवंटन शर्तो की पालना नहीं होने से निरस्त योग्य है। जमावंदी संवत् 2022 में गाम खडगदा की आराजी संख्या 5248 बिलानाम गैर काबिल काश्त मगरी दर्ज है, जिसके बावजूद भी नियमों के विपरित भूमि को आवंटित करा लिया गया हैं। भूमि आवंटन के पश्चात् आवंटन शर्तो के अनुसार आवंटित भूमि के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत, दुसरे वर्षो में 50 प्रतिशत तथा तीसरे वर्ष में सम्पूर्ण भूमि को काश्त कर पालना करने पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का आवंटी अधिकारी होता है किन्तु आवंटन के पश्चात् दस वर्षो तक भी आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाती हैं तो उसे खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं करते हुए निरस्तीकरण की कार्यवाही भूमिधारी द्वारा की जानी चाहिए थी। आवंटी द्वारा मौके पर कोई काश्त नहीं की हैं तथा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने पर भी जरिये नामान्तरकरण संख्या 1113 दिनांक 14.06.1990 को खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। उक्त भूमि बाबत तहसीलदार सागवाडा को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं कि भूमि पहाड़ी होकर इसमें काश्त नहीं की गई है तथा भूमि में अन्य व्यक्तियों के कब्जे होकर आवागमन हेतु रास्ते है। इस प्रकार आवंटी स्व0श्री नगजी अथवा उनके वारिसान विपक्षीगण का आज तक कब्जा काश्त नहीं होने से प्रार्थना–पत्र अपीलार्थी स्वीकार किया जाकर उक्त आवंटन को निरस्त किया जावें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 की तरफ से अभिभाषक नियुक्त हुए एवं रेस्पोडेन्ट सं. 7 की तरफ से पेरोकार सरकार उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 की तरफ से जवाब मय फहरिस्त अनुसार दस्तावेजात पेश किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 ने अपने जवाब में अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार किया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 ने अपने जवाब में अंकित किया है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 के पूर्व स्व0श्री नगजी को ग्राम खडगदा की आ.नं. 5248 रकबा 02 बीघा 8 बिस्वा का आवंटन नियमों की पालना में किया गया हैं। आवंटन के समय भूमि मौके पर आवंटन योग्य थी। अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में उक्त आवंटन मीसरिप्रजेन्ट कर धोखाधडी से आवंटन करवा लेना अंकित किया हैं किन्तु अपीलार्थी ने प्रार्थना–पत्र में किस तथ्य को छुपाकर, दुर्व्यपदेशन कर क्या मीसरिप्रेजेन्टेशन किया हैं या क्या धोखाधडी की हैं, कंहीं नही बताया है। आवंटी आवंटन के समय से आवंटित भूमि पर काबिज काश्त रहा है तथा अब उसके वारिसान आज तक भी काबिज काश्त हैं। आवंटन के पश्चात् कुछ वर्षो में अनावृष्टि के कारण फसल सुख गई थी। अपीलार्थी का भाई श्री देवराम ग्राम सेवक हैं तथा श्री लालशंकर गिरदावर कुटूम्बी भाई हैं। जिससे वह जमीन हड़प लेना चाहते हैं। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र असत्य आधारो पर प्रस्तुत होने से निरस्त किया जावें।

दौराने कार्यवाही प्रार्थी श्री हिरा का स्वर्गवास हो जाने से प्रार्थी के वारिसान श्री देवराम एवं गट्टुलाल पिता खेमा बलाई को रेकार्ड पर लिया गया। प्रकरण में मौके

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

की स्थिति को स्पष्ट करने हेतु तहसीलदार गलियाकोट से रिपोर्ट तलब की गई जो प्राप्त होकर पत्रावली में संलग्न हैं।

उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस समायत की गई। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का कथन है कि विपक्षीगण सं. 1 से 6 के पूर्वज स्व.श्री नगजी बलाई को ग्राम खडगदा की बिलानाम आ.नं. 5248 का रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई। उक्त भूमि गैर काबिल काश्त मगरी की भूमि होने से आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी। संवत् 2022 की जमाबंदी में भूमि गैर मुमकीन मगरी दर्ज हैं। विपक्षी सं. 1 से 6 के पूर्वज स्व.श्री नगजी को वर्ष 1977 में आवंटन हुआ हैं जो संवत् 2032–33 था। पत्रावली में प्रस्तुत खसरा गिरदावरी अनुसार संवत् 2034 से संवत् 2047 तक काश्त अंकित नहीं हैं। आवंटित भूमि आवंटन के पश्चात् प्रथम वर्ष में सम्पूर्ण भूमि अर्थात् 100 प्रतिशत भूमि पर काश्त की जानी आवश्यक हैं। विपक्षीगण सं. 1 से 6 जब वर्ष 2017 में भूमि को समतल करने मौके पर आये तब प्रार्थी को उक्त भूमि के आवंटन की जानकारी हुई। तहसीलदार गलियाकोट क रिपोर्ट के अनुसार मौके पर आवंटित भूमि पहाड़ी हैं तथा इसमें काश्त नहीं हुई हैं। मौके पर तीन रास्ते इस भूमि में होकर जा रहे है जो करीब 13 बिस्वा भूमि हैं। इसके अलावा अन्य भूमि पर भी अन्य लोगों के मुताबिक पर्चा कब्जे है। नियम विरूद्ध आवंटन हेतु कोई भी व्यक्ति जो हितबद्ध नहीं हो तो भी आवंटन निरस्ती हेतु न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता हैं। रेस्पोडेन्ट के जवाब अनुसार आवंटित भूमि में घास की पैदावार करना बताया हैं जो काश्त की परिभाषा में नहीं आता हैं। रेस्पोडेन्ट को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये हैं किन्तु आवंटन नियम 14(8)(क) के तहत आवंटन गलत हुआ हो तो सरकार कभी भी भूमि आवंटन निरस्त कर सकती हैं। न्यायालय ने मौके की रिपोर्ट तलब की है उसमें 13 बिस्वा भूमि सार्वजनिक रास्ते की भूमि हैं तथा अन्य पर अन्य लोगों के कब्जे है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 का आवंटन निरस्त किया जावे। प्रार्थी के योग्य अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायालय का ध्यान न्यायिक नजीरें RBJ(5)1998 पृष्ठ सं.397, RRD-2001 पृष्ठ सं. 465 एवं RRD 2005 पृष्ठ सं. 21 की ओर आकृष्ठ किया गया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक कथन है कि प्रार्थी श्री हिरा का रेस्पोडेन्ट को आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा हैं। प्रार्थी श्री हिरा का देहान्त हो गया हैं। उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं हैं। उसके भाई को कायम मुकाम बनाया है। अपीलान्ट श्री हिरा के भाई सरकारी कर्मचारी हो प्रभावशाली व्यक्ति होने से रेस्पोडेन्ट की भूमि को हडपने की दृष्टि से श्री हिरा से असत्य आधारों पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करवाया है। प्रार्थी ने अपने भाई ग्राम सेवक व चचेरे भाई गिरदावर से मिलकर राजस्व कार्मिक को प्रभाव में लेकर आवंटन निरस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही मौके की रिपोर्ट तैयार करवा ली थी तथा बाद में न्यायालय के आदेश पर भी रेस्पोडेन्टगण को बगैर बुलाये ही पूर्व की तैयार रिपोर्ट के आधार पर ही नवीन रिपोर्ट भी तैयार कर दी गई जो सत्यता से परे हैं। आवंटन के पश्चात् से आवंटित भूमि पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 के पूर्वज के समय से लेकर आज तक भी रेस्पोडेन्ट का ही कब्जा है। विगत वर्षो में अनावृष्टि के कारण फसल सुखने

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

से अथवा पटवारी की गलती से गिरदावरी का अंकन नहीं हुआ हो तो उस हेतु विपक्षीगण का कोई दोष नहीं हैं। रेस्पोडेन्ट द्वारा नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2074 में फसल उड़द का अंकन हैं। प्रस्तुत नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता आराजी सं. 5249 में होकर जा रहा है। आराजी भूमि को लेकर अन्य किसी व्यक्तियों को कोई आपत्ति नहीं हैं। अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट को परेशान करने के उद्देश्य से ही प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं। रेस्पोडेन्ट को आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना के उपरान्त ही प्रदान किये गये है। आवंटन के करीब 40 वर्षो से उपर की अवधि के पश्चात् एवं खातेदारी अधिकारी मिलने के करीब 28 वर्षो पश्चात् आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना बेमानी हैं। रेस्पोडेन्ट ने आवंटित भूमि अथक परिश्रम कर एवं रूपया व्यय करते हुए भूमि का समतलीकरण करवाया हैं एवं चारो तरफ बाड़ लगाई हैं। आवंटि द्वारा आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना की गई हैं एवं आज भी मौके पर काबिज काश्त हैं। आवंटी द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी करके दुर्व्यपनेशपूर्वक भूमि का आवंटन मीसरिप्रजेन्टेशन अथवा फ्रॉड के जरिये नहीं करवाया गया हैं। अतः प्रार्थना–पत्र अपीलार्थी खारिज किया जाकर रेस्पोडेन्ट का आवंटन बहाल रखा जावें। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 के योग्य अभिभाषक ने न्यायालय का ध्यान न्यायिक नजीरें 2018(2) DNJ(Raj) पृष्ठ सं.726, RRT-2002(1) पृष्ठ सं.162, RRT 2009(1) पृष्ठ सं. 220, RRT 2009(1) पृष्ठ सं. 238, RRT 2006-07(Supp.) पृष्ठ सं. 382 एवं RRT 2014(2) पृष्ठ सं. 759 की ओर आकृष्ट किया गया। पेरोकार सरकार ने उपस्थित रहकर आवंटन नियमानुसार होना बताया।

उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन करते हुए पत्रावली का अध्ययन एवं प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं दस्तावेजात नामान्तकरण की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से ग्राम खडगदा की बिलानाम भूमि आराजी संख्या 5248 का रकबा 02 बीघा 8 विस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के पूर्व स्व.श्री नगजी पिता भूरा बलाई के नाम वर्ष 1977–78 में कृषि प्रयोजनार्थ गैर खातेदारी हक पर आवंटित होना तथा वर्ष 1990 में खातेदारी अधिकार प्रदान करना प्रमाणित है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक नजीर RBJ(5) पृष्ठ सं. 1998 श्योकरण बनाम राजस्थान सरकार में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–16 में वर्णित गौचर व अगोर तथा तालाब पेटे की भूमि के कृषि प्रयोजार्थ आवंटन को निषेध माना हैं, जबकि प्रश्नगत भमि वक्त आवंटन गैर मुमकिन मगरी है जिसके आवंटन पर प्रचलित नियमों में कोई बाध्यता/रोक नहीं हैं।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक नजीर 2018 (2) DNJ (Raj) पृष्ठ सं. 726 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम शंकरलाल में मा० न्यायालय ने खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात् आवंटन निरस्त करना न्यायोचित नहीं माना हैं। न्यायिक नजीर RRT 2001 पृष्ठ सं. 162, RRT 2009(1) पृष्ठ सं. 220 में अतिक्रमण को आवंटन का अधिकार नहीं माना है। न्यायिक नजीर RRT 2009(1) पृष्ठ सं. 220 लालुराम बनाम हनुटाराम, 2009(1) RRT पृष्ठ सं. 238 हेमराज बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, 2006-07(Supp.) RRT पृष्ठ सं. 382 मंगलसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं 2014(2) RRT पृष्ठ सं.759 अमरसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में आवंटन की लम्बी अवधी उपरान्त आवंटन को निरस्त करना न्यायोचित नहीं माना हैं। रेस्पोडेन्ट सं. 1

Scanned by CamScanner

से 6 के पूर्वज को करीब 40 वर्षो से अधिक समय पूर्व से आवंटन किया गया हैं तथा करीब 28 वर्षो पूर्व उसे खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये जा चुके हैं ऐसी स्थिति में जब आवंटी के विरूद्ध किसी प्रकार का मीसरिप्रजेन्टेशन अथवा फ्रॉड का बिन्दु प्रमाणित नहीं हुआ है तो उक्त आवंटन को अब निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

अतः ग्राम खडगदा, तहसील सागवाडा के ख.नं. 5248 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 को किये गये आवंटन को निरस्त करने बाबत् अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारीज किया जाता हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गयां। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की गई।

(चेतन देवड़ा)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner